सं.ए.20011/26/2018-हिंदी
भारत सरकार/ Government of India
गृह मंत्रालय / Ministry of Home Affairs
समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार
Directorate of Coordination Police Wireless

खण्ड सं ,9 .के.स.का .परिसर/Block No.9, C.G.O., Complex,
लोधी रोड, नई दिल्ली/Lodhi Road, New Delhi-3

दिनांक: 08 मार्च, 2022

परिपत्र

विषय : सरकारी कामकाज टिप्पण/आलेखन मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना वर्ष 2020-2021

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिंनाक 14 सितम्बर 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं.12013/01/2011-रा.भा.(निति) द्वारा परिचालित अनुदेशों के अनुसरण में इस निदेशालय मुख्यालय और अंतर राज्य पुलिस बेतार स्टेशनों में वर्ष 2020-21 के दौरान सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी मे करने के लिए नकद पुरस्कार वार्षिक योजना लागू की गई है। इसके लिए वर्ष 2020-21 के दौरान **'क'** और **'ख'** क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा न्यूनतम 20,000 शब्द हिंदी में लिखे जाने अपेक्षित हैं तथा **'ग'** क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा न्यूनतम 10,000 शब्द हिंदी में लिखे जाने अपेक्षित हैं। इस योजना में भाग लेने वाले पात्र कार्मिकों को प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में कुल 10 पुरस्कार निम्नानुसार प्रदान किए जाते हैं :-

प्रथम पुरस्कार (दो पुरस्कार)	:	**प्रत्येक रू. 5000/-**
द्वितीय पुरस्कार (तीन पुरस्कार)	:	**प्रत्येक रू 3000/-**
तृतीय पुरस्कार (पाँच पुरस्कार)	:	**प्रत्येक रू 2000/-**

2. अत: अनुरोध है कि निदेशालय (मुख्यालय) और अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों में कार्यरत वे सभी अधिकारी और कर्मचारी जो अपना सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करते हैं, पुरस्कार हेतु उनके द्वारा वर्ष 2020-21 (01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि तक) के दौरान किए गए कार्यों का ब्यौरा (प्रमाणित दस्तावेज सहित) इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में भरकर अपने नियंत्रणाधीन अधिकारी के माध्यम से निदेशालय के हिंदी अनुभाग में दिनांक 20 मार्च 2022 तक अग्रेषित करवा दें। योजना में भाग लेने वाले अधिकारी और कर्मचारी जो संबंधित क्षेत्र हेतु अपेक्षित हिंदी शब्दों के मानदड को पूरा नहीं करेंगे, उनके नामों पर पुरस्कार हेतु विचार नहीं किया जाएगा। पुरस्कारों का निर्णय निदेशालय में गठित निर्णायक समिति द्वारा हिंदी कार्यों के मूल्यांकन एवं प्राप्त दस्तावेजों की जांच के उपरांत किया जाएगा।

3. यह निदेशक के अनुमोदन से जारी किया गया है।

08.03.2022
(डॉ. राजीव कुमार सिंह)
सहायक निदेशक (राजभाषा)

संलग्नक: यथोपरि

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक के प्रधान निजी सचिव ।
2. सभी संयुक्त निदेशक।
3. सभी अनुभाग अधिकारी /सहायक निदेशक (संचार केन्द्र)।
4. संयुक्त सहायक निदेशक/केन्द्र अधीक्षक- सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र (विभाग की वेबसाइट के माध्यम से)।
5. उप निदेशक, पोलनेट हब स्टेशन, समन्वय सदन, सिरी फोर्ट रोड, नई दिल्ली।
6. संचार केन्द्र, स.नि.पु.बे., नॉर्थ ब्लाक नई दिल्ली।
7. सहायक निदेशक (प्रशिक्ष) के.पु.रे.प्र.संस्थान,वन्दे मातरम मार्ग, नई दिल्ली।
8. सहायक निदेशक (आई.टी.): विभाग की वेबसाइट के सर्कुलर व हिंदी सेक्शन पर अपलोड करने हेतु।

प्रपत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी..............................पदनाम..अनुभाग/संस्थान/अंतर राज्य पुलिस बेतार स्टेशन..द्वारा 01-04-2020 से 31-03-2021 तक हिंदी में किए गए सरकारी कार्य का ब्यौरा।

टिप्पणी. यह प्रपत्र नमूने के तौर पर है, इस के आधार पर प्रपत्र तैयार करके **प्रत्येक माह हिंदी कार्य का विवरण** अलग-अलग भरा जाए। यह भी सुनिश्चित करें की सूचना पूर्ण एंव सही हो और वह अनुभाग/स्टेशन पर हिंदी कार्य के ब्योरे के रजिस्टर से मेल खाती हो। जिन फाइलों व रजिस्टरों इत्यादि में हिंदी में कार्य किया गया है उनका पूरा विवरण दें। हिंदी में किए गए कार्यों के प्रमाणित दस्तावेजों की प्रतियां भी संलग्न करें।

क्र.सं.	तिथि	कुल फाइलों, रजिस्टरों आदि की संख्या जिनमें हिंदी में काम किया गया	हिंदी में लिखे गए टिप्पणी और आलेखन के शब्दों की संख्या	हिंदी में किए गए और काम		तत्काल अधिकारी के हस्ताक्षर (प्रत्येक माह में)
				संक्षिप्त ब्योरा	शब्दों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7
1.	01.04.2020 से 30.04.2020 तक					
2.	01.05.2020 से 31.05.2020 तक					
		कुल शब्द-		कुल शब्द-		

कॉलम 4 और कॉलम 6 दोनों को मिलाकर कुल शब्द-

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..पदनाम.................... . जिनकी मातृभाषा.......................है और अनुभाग/संस्थान/ अंतर राज्य पुलिस बेतार स्टेशन.............................. में कार्यरत हैं, द्वारा 01.04.2020 से 31.03.2021 तक प्रस्तुत हिंदी में किए गए सरकारी कार्य का ब्योरा सही है। इनके द्वारा हिंदी में किए गए कार्य का मिलान अनुभाग/संस्थान/स्टेशन में उपलब्ध रिकॉड, फाइलों/रजिस्टरों आदि से कर ली गयी है। उपरोक्त आंकड़े सत्य हैं।

अग्रेषित करने वाले प्राधिकारी के
हस्ताक्षर एंव मोहर